

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एच. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 221/2024 (धारा 14 शिवयोरिटाइजेशन)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता ग्यारवी मंजिल टावर ए, बेनिगसुला विजयेरा
पार्क गणपत्र राव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई 400013

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अरविंद कुमार पूनिया पुत्र श्री चोखा राम उर्फ चोखा राम विशनोई
2. चोखा राम विशनोई उर्फ चोखा राम पुत्र श्री गोदात राम
3. श्रीमति गावारी देवी पत्नी श्री चोखा राम उर्फ चोखा राम विशनोई
4. मैसर्स टाईल्स मार्ट जरिये प्रोपराईटर
5. श्रीमति विमला पत्नी श्री अरविंद कुमार पूनिया
पता - फ्लैट/यूनिट नम्बर -203, सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 115-116, सनसाईन कृष्णा- थर्ड,
विश्वरैया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर,
197, कुरादों का गोलयां, मोखतारा, जालोर, सेवारा, जालोर,
अरविंद टाईल्स, 516-518, 61-आदिनाथ ट्रेड काम्पलेक्स, जवाहर लाल नेहरू रोड, गियर ईएमवी
नदी माधवारा, तिरुवल्लूर, चेन्नई,
मैसर्स टाईल्स मार्ट, 04, पदमावती काम्पलेक्स-सेकिण्ड, गोपालपुरा बाईपास, जालोर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अरविंद कुमार पूनिया के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नम्बर -203, सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 115-116, सनसाईन कृष्णा- थर्ड, विश्वरैया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर कुल क्षेत्रफल 125.83 वर्ग मीटर/1352.32 वर्ग फीट को बन्धक रख कर 42,34,753/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.04.2023 को रजिस्टर्ड से नोटिस जारी किया। उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 42,34,753/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 42,04,025/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.04.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अरविंद .कुमार पूनिया के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नम्बर -203, सेकिण्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर 115-116, सनसाईन कृष्णा- थर्ड, विश्वरैया नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर कुल क्षेत्रफल 125.63 वर्ग मीटर/1352.32 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का आदेश देकर आदेश को वाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



आदेश आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर